उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग - 2

संख्या - क०नि० -2 - 845 / ग्यारह -9 (47)/17 - उ० प्र० अधि० -1 -2017 -आदेश (12)-2017

लखनऊ : दिनांक: 30 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किये गए निम्नलिखित क्रिया-कलापों या संव्यवहारों जिसमें उन्हें लोक प्राधिकारी के रूप में नियोजित किया गया हो, को न तो माल की पूर्ति के रूप में और न ही सेवा की पूर्ति के रूप में माना जायेगा, अर्थात्:-

"संविधान के अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को सौपे गए किसी कृत्य से सम्बंधित किसी क्रियाकलाप के माध्यम से सेवाएं ।"

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(एस० राजलिंगम)
विशेष सचिव